न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 44/2021

आत्मा सिंह पुत्र स्व.श्रही दयाल सिंह आयु 76 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 21 एम. एम.के. (मानुका) तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

—अपीलांट

बनाम

1. सुखजीत कौर तथाकथित पुत्री सुखदेव कौर धर्मपत्नी स्व.श्री रूपासिंह उर्फ स्वरूप सिंह जाति जट सिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट/वादिया

2. सुखदेव कौर धर्मपत्नी स्व.श्री रूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह जाति जट सिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट/प्रतिवादिया

3. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2020
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़
अनवान ''सुखजीत कौर बनाम सुखदेव कौर'' प्र. सं. 104/2020

उपस्थितिः–

श्री लालचंद वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री देवदत्त भिड़ासरा, अभिभाषक रेस्पोडेंट
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 30.5.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने रेस्पोंडेंट संख्या–2 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय [illegible] घोषणा पेश किया [illegible]पत्र में कथन किया कि चक 22 एम.एम.के. खाता संख्या 24/16 में वादीया की माता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादीया संख्या–1 सुखदेव कौर के नाम 1.519 हैक्टेयर व चक 22 एम.जे.डी. खाता संख्या 56/42 में 0.801 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की भूमि है जो कि पूर्व में मुझ वादीया के पिता रूप सिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात् मुझ वादीया की माता प्रतिवादी संख्या–1 पर विरासतन औद हुई। उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की भूमि है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा मुझ वादीया व प्रतिवादीया ने अच्छी मंदी व काश्त की सुविधा अनुसार अर्जीदावा की दफा–2 में वर्णित भूमि का घरू बंटवारा पारिवारिक समझौता कर लिया है। मुताबिक पारिवारिक समझौता/घरू बंटवारा मुझ वादीया को चक 22 एम.एम.के. खाता संख्या 24/16 में प्रतिवादीया संख्या–1 के नाम दर्ज 1.519 हैक्टेयर व चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 56/42 में प्रतिवादीया संख्या–1 के नाम दर्ज 0.801 हैक्टेयर में से 0.548 हैक्टेयर दोनों चकों की कुल 2.067 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त वर्णित भूमि मुताबिक घरू बंटवारा दर्ज नहीं होने के कारण मुझ वादीया के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः वादीया घोषणा इस अमर की प्राप्त करने की अधिकारी है कि वादीया चक 22 एम.एम.के. खाता संख्या 24/16 में प्रतिवादीया संख्या–1 के नाम दर्ज 1.519 हैक्टेयर व चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 56/42 में प्रतिवादीया संख्या–1 के नाम दर्ज 0.801 हैक्टेयर में से 0.548 हैक्टेयर दोनों चकों की कुल 2.067 हैक्टेयर की खातेदार काश्तकार है व चक 22 एम.एम.के. खाता संख्या 24/16 में से प्रतिवादीया संख्या–1 का नाम कलमजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीया एवं प्रतिवादीया के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण राजीनामा मय शपथ पत्र पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर दिनांक 10.09.2020 को वाद पत्र डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि स्व. श्री रूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह की एक मात्र वारिस रेस्पोडेंट संख्या–2 सुखदेव कौर ही है। स्व.श्री रूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह के कोई संतान नहीं थी तथा इसी कारण स्व.श्री रूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह के देहान्त उपरांत उसकी भूमि का विरास्तन इंतकाल अकेले सुखदेव कौर के नाम दर्ज हुआ। रेस्पोडेंट संख्या–1 स्व.श्री रूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह तथा रेस्पोडेंट संख्या–2 सुखदेव कौर की पुत्री नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने परस्पर दुरभिसंधि कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री इस गर्ज से हासिल की है कि रेस्पोडेंट संख्या–2 दीवानी न्यायालय की डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 43/2004 की पालना में चक 21 एमएमके के पत्थर नम्बर 97/203 (5) के किला नम्बर 18 की 17 बिस्वा भूमि विभाजन में अपने नाम न करवा सके व यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त 17 बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया जाना था। रेस्पोडेंट संख्या-2 ने अपने इस विधिक दायित्व से इन्कार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। रेस्पोडेंट संख्या-1 रूप सिंह उर्फ स्वरूप सिंह व रेस्पोडेंट संख्या-2 सुखदेव कौर की पुत्री नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने परस्पर मिलीभगत कर यह डिक्री हासिल की है। धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए यह निवेदन किया कि चक 21 एमएमके के पत्थर नम्बर 97/203 किला नम्बर 18 की 17 बिस्वा भूमि की डिक्री दिनांक 11.01.2007 अपीलांट व उसके भाईयों के पक्ष में है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने आपस में दुरभिसंधि कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है तथा अपीलांट के हित विपरीत रूप से प्रभावी है इसलिये धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे व दफा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांट को माह फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में पटवारी हल्का से हुआ तथा अपीलांट ने दिनांक 01.03.2021 को इसकी प्रमाणित प्रतिलिपी हासिल की। अपील अपीलांट अन्दर मियाद ग्रहण की जावे।

4. रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रूप सिंह के फौत होने के पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या-2 सुखदेव कौर ने रेस्पोडेंट संख्या-1 सुखजीत कौर को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा लिया हुआ है जिसका रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के मध्य कोई विवाद नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या-2 रेस्पोडेंट संख्या-1 को गोद लेना स्वीकार करती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के चक 22 एम.एम.के. खाता संख्या 24/16 की 1.519 हैक्टेयर व चक 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 56/42 की 0.801 हैक्टेयर में से 0.548 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में वाद पत्र प्रस्तुत हुआ था जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय एवं डिक्री की चित्रप्रति चक 21 एमएमके के पत्थर नम्बर 97/203 (5) किला नम्बर 18 की 17 बिस्वा से सम्बंधित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय की डिक्री दिनांक 11.01.2007 की है जिसकी पालना अपीलांट ने आजतक नहीं करवाई तथा सिविल न्यायालय की डिक्री मियाद बाहर हो चुकी है। अपीलांट ने सिविल न्यायालय में पारित डिक्री में वर्णित व्यक्तियों को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है। अपीलांट प्रश्नगत भूमि का खातेदार नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का शुरू से ज्ञान रहा है। अपीलांट ने अपीलांधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान पटवारी हल्का से होने का कथन किया है लेकिन इस सम्बंध में पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पत्र धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाकर अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट ने सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 11.01.2007 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती दी है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में चक 21 एमएमके के पत्थर नम्बर 97/203 (5) किला नम्बर 18 का 17 बिस्वा अंकित है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 22 एम.जे.डी. के खाता संख्या 56/42 च चक 22 एमएमके के खाता संख्या 24/16 की है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में वर्णित भूमि चक 21 एमएमके की है। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की सूरत में अपीलांट की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested